न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 117/2022

कृष्ण मूरारी अग्रवाल पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद जाति महाजन निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू हाल निवासी पुष्पराज कॉलोनी गली नम्बर 3बी, रघुनाथ नगर, सतना मध्य प्रदेश जरिये मुख्तार नरेश कुमार लुहारूका पुत्र महेश कुमार लुहारूका जाति महाजन निवासी प्लेट नम्बर 503, एमडी हाईटस, लालपुर मार्ग, गांधी पथ वेस्ट, वैशाली नगर जयपुर।

आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 08.11.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 626 के वर्तमान खसरा नम्बर 1549/801 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 1550/801 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1551/801 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1552/804 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 1553/804 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1554/804 रकबा 1.91 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 3.46 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी 1/8 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन व भूल से बलराम पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम कृष्ण मुरारी अग्रवाल पुत्र महावीर प्रसाद है प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम कृष्ण मुरारी अग्रवाल पुत्र महावीर प्रसाद है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बलराम पुत्र महावीर प्रसाद की जगह कृष्ण मुरारी अग्रवाल पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदक तहसीलदार मलसीसर को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्रांक 31 दिनांक 03.01.2023 से जांच रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार मलसीसर ने जांच रिपोर्ट में प्रार्थी के पिता महावीर प्रसाद महाजन के फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 728 दिनांक 06.09.2013 में महावीर प्रसाद के दो पुत्र कृष्ण मुरारी व बलराम पि. महावीर प्रसाद दर्ज होना बताया है।

न्यायालय द्वारा प्रार्थी पक्ष को प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों पर साक्ष्य पेश करने का पूर्ण अवसर दिया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार नरेश कुमार पुत्र महेश कुमार महाजन, माया देवी पत्नी महेश कुमार महाजन, सुमन पुत्री महेश कुमार महाजन का साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1, पीडब्ल्यू–2 तथा पीडब्ल्यू–3 न्यायालय के समक्ष पेश करवाया।

विद्वान अधिवक्ता की बहस अन्तिम श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी अपने पिता के साथ वर्षो पूर्व से ही मलसीसर से बाहर रहते है ग्राम मलसीसर में आना जाना नहीं होता। प्रार्थी के पिता के देहान्त के बाद फौतगी इन्तकाल भी नरेश कुमार के पिता महेश कुमार लुहारूका द्वारा ही दर्ज करवाया गया था। बचपन में कृष्ण मुरारी को परिवार में बलराम के नाम से सम्बोधित किया जाता था। कृष्ण मुरारी का ग्राम मलसीसर में आना जाना नहीं होने से गांव में इन्हें कोई नहीं जानता यहां तक कि महेश कुमार लुहारूका को भी इस बात का संदेह था कि कृष्ण मुरारी को ही बचपन में बलराम के नाम से सम्बोधित किया जाता था और इसी संदेह के कारण फौतगी इन्तकाल के दौरान महेश कुमार लुहारूका द्वारा महावीर प्रसाद महाजन के दो पुत्र कृष्ण मुरारी व बलराम के नाम से फौतगी इन्तकाल दर्ज करवा दिया जबकि वास्तविक्ता में कृष्ण मुरारी को ही बचपन में बलराम के नाम से सम्बोधित किया जाता था कृष्ण मुरारी व बलराम दो अलग–अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज बलराम पुत्र महावीर प्रसाद के नाम के स्थान पर कृष्ण मुरारी पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सहखातेदारान द्वारा पेश साक्ष्य रूपी शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 626 के वर्तमान खसरा नम्बर 1549/801, 1550/801, 1551/801, 1552/804, 1553/804, 1554/804 कुल किता 6 कुल रकबा 3.46 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में बलराम पुत्र महावीर प्रसाद हिस्सा 1/8 जाति महाजन सा. देह खातेदार के स्थान पर कृष्ण मुरारी अग्रवाल पुत्र महावीरप्रसाद हिस्सा 1/8 जाति महाजन सा. देह खातेदार दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/11/2023

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर